




al Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

<p>पुत्र मोहन जाति कीर निवासी कीरों की तन भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ झुन्डुनू राजस्थान। मुकदमा- प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा।</p>	<p>-बनाम-</p>	<p>मोहन पुत्र हनुमान जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी तन भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान। मु.नं. 48...../2023 RCMS No</p>	
<p>देश</p>	<p>कार्यवाही विवरण</p>		<p>पालना के क्रमांक व दिनांक</p>
<p>0.05.23</p>	<p>आज यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील श्री सुभाष चन्द्र आर्य द्वारा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अनादेकगण जारी हो। अनावेदकगण यदि तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी अनावेदकगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 17/5/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">               सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)              नवलगढ़ जिला झुन्डुनू         </p> <p>             पत्रावली आज "सुभाष चन्द्र आर्य अभियान - 2023" के अंतर्गत प्रस्तुत की गई।              बहीबंद प्रकरणों में अनु. पक्षकारान के अभाव में प्रकरण को अग्रिम में प्रस्तुत नहीं किया।              अतः यह प्रकरण अग्रिम दिनांक 24/6/23 को पेश हो।         </p> <p style="text-align: center;">               शिविर प्रभादी              प्रशासक, पीठासीन अधिकारी, 2023, पं.ज. नवलगढ़         </p>		<p>1815123</p>
<p>28/6/23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील भावेदक ने प्रकरण को नोटिस के अभाव में अग्रिम में प्रस्तुत नहीं किया। अतः नोटिस के अभाव में प्रकरण को अग्रिम में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पत्रावली प्रस्तुत सुभाष चन्द्र आर्य नामक से अग्रिम दिनांक 24/6/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">               ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)         </p>		<p>1815123</p>

